

अंतिम डिक्री व मुकदमें इव्ताई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सुरेन्द्र बनाम अमरी

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 58/2021  
पेश करने की दिनांक - 16.06.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई कैलाश बीजावत व राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 494/1, 495/1, 4974/1, 503/5198/1, 803/1 रकबा क्रमशः 0.345, 0.295, 0.225, 0.18, 0.305 का खातेदार वादी सुरेन्द्र पुत्र गोपाल को हाल खसरा नम्बर 494/2, 495/2, 4974/2, 503/5198/2, 803/2 रकबा क्रमशः 0.345, 0.295, 0.225, 0.18, 0.305 का खातेदार अमरी पुत्री रामदेव, ग्यारसीलाल पुत्र रामदेव, हांसी पत्नी रामदेव, संतोक पत्नी शिवदान को घोषित किया जाता है। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18 मार्च, सन् 2025 को जारी की गयी।



मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

